

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रा0पत्र संख्या- 205/2018

1. गोकुलेन्द्र पुत्र बस्तीराम
  2. रुद्रपकाश पुत्र बस्तीराम
  3. अन्जू देवी पुत्री बस्तीराम
  4. अनिल देवी पुत्री बस्तीराम
  5. अनिता देवी पुत्री बस्तीराम
  6. सरोज देवी पुत्री बस्तीराम
  7. होशियार सिंह पुत्र भालाराम
  8. चान्दो देवी पत्नी जगवीर सिंह
  9. मन्जीत पुत्र जगवीर सिंह
  10. रूपनारायण पुत्र जगवीर सिंह
  11. महेन्द्र पुत्र जगवीर सिंह
  12. बिमला पुत्री जगवीर सिंह
  13. इन्द्रा पुत्री जगवीर सिंह
- जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रार्थीगण

ब-ना-म

1. धनपती देवी पत्नी मन्दरूप सिंह
2. हिम्मत सिंह पुत्र मन्दरूप सिंह
3. शक्ति सिंह पुत्र मन्दरूप सिंह
4. मालाराम पुत्र सुण्डाराम उर्फ झुण्डाराम
5. चांदकोर देवी पत्नी रूपचन्द
6. दलीप सिंह पुत्र रूपचन्द
7. धनपत पुत्र लादू
8. पप्पू पुत्र लादू जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं
9. ममता पुत्री रूपचन्द पत्नी रविन्द्रकुमार जाति जाट निवासी जाट बहरोड़ तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
10. महेन्द्र सिंह पुत्र लादू (फौत)
- 10/1 दीपक पुत्र महेन्द्र सिंह
- 10/2 मनीषा पुत्री महेन्द्र सिंह
11. सत्यप्रकाश पुत्र रूपचन्द जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
12. सिलोचना पुत्री रूपचन्द जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी।
13. मनीशा पुत्री राजेन्द्र पत्नी सन्दीप कुमार जाति जाट निवासी नांगलिया पोस्ट कारोला तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरि0
14. हरफूल पुत्र घोघड जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी।
15. इण्डियन ओवरसजी बैंक शाखा कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबंधक।
16. आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा सिंघाना जरिये शाखा प्रबंधक।



30V  
राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी करवाने

निर्णय

दिनांक 28-09-2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम गौरीर स्थित जमाबंदी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 100 के ख.नं. 1950 रकबा 0.58 है., ख.नं. 1957 रकबा 0.18 है., ख.नं. 2107 रकबा 0.38 है., ख.नं. 2109 रकबा 0.23 है., ख. नं. 893 रकबा 0.16 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.53 है. के प्रार्थीगण व जगवीर सिंह खातेदार काबिज काश्तकार है जगबीर सिंह का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिशान प्रार्थी सं. 8 लगायत 13 है जो उसके हिस्से पर काबिज काश्त है। ग्राम गौरीर स्थित जमाबंदी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 284 में दर्ज ख.नं. 2410/2109 रकबा 0.61 है. के मन्दरूप व अप्रार्थी सं. 4 खातेदार काश्तकार है मन्दरूप का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिश अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 है एवं खाता सं. 275 के ख.नं. 2110 रकबा 1.45 है. के अप्रार्थी सं. 5 लगायत 12 खातेदार काश्तकार है एवं खाता सं. 555 के ख.नं. 2283/2115 रकबा 0.85 है. के अप्रार्थी सं. 13 लगायत 14 खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 2109 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 की खातेदारी भूमि ख.नं. 2410/2109 सीव जोड़ स्थित है तथा दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण 5 लगायत 12 की भूमि ख.नं. 2110 सीव जोड़ स्थित है तथा पश्चिम दिशा में अप्रार्थीगण 13 लगायत 14 की भूमि ख.नं. 2283/2115 सीव जोड़ स्थित है। इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि ख.नं.2109 के पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि सीव जोड़ लगती है जिससे अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 2109 की पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी सीमा के साथ तोड़ फोड़ करते रहते हैं व सीमा को तोड़ देते हैं। प्रार्थीगण ने दिनांक 21.06.2018 को सीमाज्ञान करवा लिया तथा सीमाज्ञान के अनुसार अपने खेत 2109 को ठीक कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 14 उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहे हैं तथा मौका देखकर प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 2109 की पूर्व, पश्चिमी व दक्षिण सीमा को तोड़ देते हैं एवं सीमा चिन्हों को नष्ट कर देते हैं। इसलिये यह आवेदन प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 2109 की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख.नं. 2109 रकबा 0.23 है. की पूर्वी सीमा जो ख.नं. 2410/2109 से लगती है तथा पश्चिमी सीमा जो ख.नं. 2283/2115 से लगती है व दक्षिणी सीमा जो ख.नं. 2110 के साथ लगती है उक्त खसरा नंबर की सर्वेसीट से नपती करवाकर ख.नं. 2109 रकबा 0.23 है. की पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर, इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल नक्शा किश्तवार सन् 1979-80, जमाबंदी संवत् 2074-2077 खाता सं. 100, खाता सं. 284, खाता सं. 275 व खाता सं. 555 ग्राम गौरीर, फर्द सीमज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.6.2018 पेश की गई।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम गौरीर की जमाबंदी संवत्

30V


उपर्युक्त अभिलेखी  
खेतड़ी जि. २९ (राज.)

2074-2077 खाता सं. 100 खसरा नंबर 1950, 1957, 2107, 2109, 893 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.53 है. प्रार्थीगण की एकांकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 28-06-2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा प्रार्थीगण पुनः ख.नं. 2109 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगद्दी करवाना चाहते हैं जो विधिसम्मत है।

### आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम गौरीर स्थित भूमि खसरा नंबर 2109 रकबा 0.23 है. भूमि की पुनः नपति कर रू. 400/- की फीस पर पत्थरगद्दी करवाये तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवाये।

निर्णय आज दिनांक 28-09-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( जय सिंह )

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी

खेतड़ी जि. स. (राज.)